



॥ श्री महेश्वराय नमः ॥

PT. Reg. No. : E 4636/Pune

**AKHIL BHARTIYA MAHESHWARI EDUCATIONAL & CHARITABLE TRUST, PUNE
SETH SHRI GANGADHAR BANSILAL RATHI MAHESHWARI HOSTEL**S. No. 59, Sai Nagar, Lane No.6, Salve Garden Road, Near Chhatrapati High School,
Sukhsagar Nagar, Katraj, Pune : 411048 Tel: 020-26961100
Email : abmectpune@gmail.com • Website: abmectpune.in**समाज के जरूरतमंद मेधावी छात्र हेतु छात्रावास शुल्क में छुट हेतु आवेदन पत्र**

(केवल एक सत्र हेतु)

१. छात्र का पुरा नाम	_____	कृपया अपना वर्तमान पासपोर्ट साईज का फोटो लगावे।
२. पिता/पालक का नाम	_____	
पता व टेलीफोन नं	_____	
_____	_____	
_____	_____	
३. वार्षिक आय	_____	
४. छात्रावास में प्रवेश की तारीख	_____	
५. वर्तमान में जहां अध्ययनरत है	_____	
उस संस्था का नाम	_____	
पता	_____	
_____	_____	

६. विगत २ वर्ष का शिक्षा सम्बन्धित ब्यौरा

वर्ष	कक्षा	शिक्षा संस्थान का नाम	बोर्ड/विश्वविद्यालय	अंक		प्रतिशत (%)
				कुल	प्राप्तांक	

अंकसूची की प्रमाणित छायाप्रती लगाया अनिवार्य है।

७. फी में चाही गई छुट की प्रतिशत/राशी _____

दिनांक _____

छात्र के हस्ताक्षर
(नियम एवं शर्तें हेतु कृपया पृष्ठ पलटें)

पिता/पालक के हस्ताक्षर

स्थानीय संगठन की अनुशंसा

श्री _____ पिता _____ स्थानीय संस्था के सदस्य है। समाज द्वारा आर्थिक दृष्टि से जरूरतमंद छात्र को छूट देने हेतु पारित संकल्प के अनुसार उपके अभिभावक को सिर्फ आवास फिस में _____ % की छूट राशि रु. _____ की सिफारिश की जाती है। स्थानिक संगठन द्वारा दी जानेवाली छूट राशि का १०% रु. _____ का नगद/चेक/ड्राफ्ट साथ में संलग्न है।

हस्ताक्षर _____

वास्ते स्थानीय संगठन-अध्यक्ष/सचिव-नाम

(संगठन की मुहर आवश्यक है)

केवल कार्यालयीन उपयोग हेतु

आवेदन प्राप्त दिनांक _____

☐ स्वीकृत

लोकल कमिटी बैठक दिनांक _____

☐ अस्वीकृत

ट्रस्ट बोर्ड बैठक दिनांक _____

सचिव के हस्ताक्षर

नियम एवं शर्तें

- आवेदन केवल एक सत्र/अर्थसत्र हेतु मान्य होगा । अगले सत्र में छूट हेतु पुनः आवेदन करना होगा ।
- छात्र आवेदन को पूर्ण रूप से भरे । अपूर्ण भरे आवेदन या अनुलब्धक की कमी होने पर आवेदन पर विचार नहीं किया जायेगा । विगत सत्र की अंक सूचि की प्रमाणित छायाप्रति संलग्न करना अनिवार्य है ।
- आवेदन पत्र पर स्थानीय संगठन (छात्र के पैतृक निवास स्थान) की अनुशंसा आवश्यक होगी । साथ सिर्फ आवास फिस में चाही गई छूट की राशि की १०% राशि संगठन को जमा करनी होगी ।
- छूट केवल आवास फीस पर ही दी जायेगी ।
- असत्य एवं मिथ्या जानकारी होने पर आवेदन पत्र निरस्त किया जा सकता है ।
- आवेदन को स्वीकृत या अस्वीकृत करने का पूर्ण अधिकार ट्रस्ट बोर्ड को होगा । इस सम्बंध में ट्रस्ट बोर्ड का निर्णय ही अंतिम एवं मान्य होगा ।